

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, छपरा।

पटना, दिनांक- 22.03.19

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में नगर निगम, छपरा क्षेत्र अंतर्गत छपरा शहर के जल जमाव की समस्या के निदान हेतु Storm Water Drainage (खनुआ नाला) योजना के कार्यान्वयन हेतु ₹2995.00 लाख (उनतीस करोड़ पंचानवे लाख रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए तत्काल कुल ₹553.95 लाख (पाँच करोड़ तिरपन लाख पंचानवे हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में आवंटित।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में नगर निगम, छपरा क्षेत्र अंतर्गत छपरा शहर के जल जमाव की समस्या के निदान हेतु Storm Water Drainage योजना के कार्यान्वयन हेतु ₹2995.00 लाख (उनतीस करोड़ पंचानवे लाख रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए तत्काल विभागीय राज्यादेश सं०-132 दिनांक-22.03.19 के आलोक में कुल ₹553.95 लाख (पाँच करोड़ तिरपन लाख पंचानवे हजार रु०) मात्र तालिका के स्तम्भ- 5 के अनुरूप निम्नवत् आवंटित की जाती है:-

(राशि लाख में)					
क्र० सं०	निकाय का नाम	योजना का नाम	तकनीकी अनुमोदन/ प्रशासनिक स्वीकृति की कुल राशि	तत्काल आवंटित राशि	अवशेष राशि (4-5)
1	2	3	4	5	6
1	नगर निगम, छपरा	छपरा शहर में स्टोर्म वाटर ड्रेनेज (खनुआ नाला) योजना की स्वीकृति के संबंध में।	2995.00	553.95	2441.05

अर्थात् कुल आवंटित राशि कुल ₹553.95 लाख (पाँच करोड़ तिरपन लाख पंचानवे हजार रु०) मात्र।

2. योजना का कार्यान्वयन बुडको द्वारा कराया जायेगा।

3. आवंटित कुल ₹553.95 लाख (पाँच करोड़ तिरपन लाख पंचानवे हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, नगर निगम, छपरा होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 354, दिनांक- 28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जायेगी।

निकासी के उपरांत नगर आयुक्त, नगर निगम, छपरा द्वारा राशि का हस्तांतरण बैंक ड्राफ्ट/चेक

के माध्यम से बुडको को कर दी जाएगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। राशि का संधारण पी०एल० खाता में किया जाएगा।

4. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक- 63, दिनांक- 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण-पत्र BCT- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

5. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”

6. उक्त आवंटित राशि ₹553.95 लाख (पाँच करोड़ तिरपन लाख पंचानवे हजार रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या-48 मुख्य शीर्ष- 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष- 02-मल जल तथा सफाई, लघु शीर्ष- 191-नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष-0102-नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान विपत्र कोड- 48-2215021910102, विषय शीर्ष- 0102.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों का निर्माण से की जायेगी।

7. राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही कार्यों का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत कार्य पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. नाला निर्माण, सिवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना मद के अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि आवंटित की जाती है:-

(i) योजना का कार्यान्वयन बुडको द्वारा कराया जाएगा।

(ii) जिला पदाधिकारी, सारण द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय-समय पर किया जाएगा।

(iii) स्वीकृत निधि की अधिसीमा के अन्तर्गत ही योजनाओं के अनुरूप सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्यान्वित करायी जायेगी। यह ध्यान में रखा जायेगा कि योजनाओं का डुप्लीकेशन न हो एवं पाँच वर्ष पूर्व से अबतक किसी भी एजेंसी से कोई कार्य नहीं कराया गया हो।

(iv) योजना के कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर विभाग का नाम, योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का चिवरण-लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(v) योजना का कार्यान्वयन ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।

10. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

11. सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०- 17/टि० पर दिनांक- 25.02.2019 को प्राप्त है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा/जिला पदाधिकारी, छपरा/प्रबंध निदेशक, बुडको/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

08/27-02-19

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापंक-2ब०/ना०नि०-02-10/2018 ९० /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-२५.०२.१९

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा/जिला पदाधिकारी, छपरा/प्रबंध निदेशक, बुडको/प्रबंध निदेशक, बुडको/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/27-02-19

सरकार के विशेष सचिव।

* ई-मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक-2ब0/ना0नि0-02-10/2018

132

/न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
बिहार, पटना।

* अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक- 27.04.19

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में नगर निगम, छपरा क्षेत्र अंतर्गत छपरा शहर के जल जमाव की समस्या के निदान हेतु Storm Water Drainage (खनुआ नाला) योजना के कार्यान्वयन हेतु ₹2995.00 लाख (उनतीस करोड़ पंचानवे लाख रु0) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए तत्काल कुल ₹553.95 लाख (पाँच करोड़ तिरपन लाख पंचानवे हजार रु0) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की निकासी की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में नगर निगम, छपरा क्षेत्र अंतर्गत छपरा शहर के जल जमाव की समस्या के निदान हेतु Storm Water Drainage योजना के कार्यान्वयन हेतु ₹2995.00 लाख (उनतीस करोड़ पंचानवे लाख रु0) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए तत्काल कुल ₹553.95 लाख (पाँच करोड़ तिरपन लाख पंचानवे हजार रु0) मात्र तालिका के स्तम्भ- 5 के अनुरूप निम्नवत् स्वीकृत की जाती है:-

(राशि लाख में)					
क्र० सं०	निकाय का नाम	योजना का नाम	तकनीकी अनुमोदन/ प्रशासनिक स्वीकृति की कुल राशि	तत्काल स्वीकृत राशि	अवशेष राशि (4-5)
1	2	3	4	5	6
1	नगर निगम, छपरा	छपरा शहर में स्टोर्म वाटर ड्रेनेज (खनुआ नाला) योजना की स्वीकृति के संबंध में।	2995.00	553.95	2441.05

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि कुल ₹553.95 लाख (पाँच करोड़ तिरपन लाख पंचानवे हजार रु0) मात्र।

इसके लिए आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

2. योजना का कार्यान्वयन बुडको द्वारा कराया जायेगा।
3. स्वीकृत कुल ₹553.95 लाख (पाँच करोड़ तिरपन लाख पंचानवे हजार रु0) मात्र सहायक अनुदान की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, नगर निगम, छपरा होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 354,

दिनांक- 28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जायेगी। निकासी के उपरांत नगर आयुक्त, नगर निगम, छपरा द्वारा राशि का हस्तांतरण बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से बुडको को कर दी जाएगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। राशि का संधारण पी०एल० खाता में किया जाएगा।

4. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक- 63, दिनांक- 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण-पत्र BCT- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

5. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”

6. उक्त स्वीकृत राशि ₹553.95 लाख (पाँच करोड़ तिरपन लाख पंचानवे हजार रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या-48 मुख्य शीर्ष- 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष- 02-मल जल तथा सफाई, लघु शीर्ष- 191-नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष-0102-नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान विपत्र कोड- 48-2215021910102, विषय शीर्ष- 0102.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों का निर्माण से की जायेगी।

7. राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही कार्यों का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत कार्य पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. नाला निर्माण, सिवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना मद के अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि स्वीकृत की जाती है:-

(i) योजना का कार्यान्वयन बुडको द्वारा कराया जाएगा।

(ii) जिला पदाधिकारी, सारण द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय-समय पर किया जाएगा।

(iii) स्वीकृत निधि की अधिसीमा के अन्तर्गत ही योजनाओं के अनुरूप सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्यान्वित करायी जायेगी। यह ध्यान में रखा जायेगा कि योजनाओं का डुप्लीकेशन न हो एवं पाँच वर्ष पूर्व से अबतक किसी भी एजेंसी से कोई कार्य नहीं कराया गया हो।

(iv) योजना के कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर विभाग का नाम, योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण-लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(v) योजना का कार्यान्वयन ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।

10. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

11. सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०- 17/टि० पर दिनांक- 25.02.2019 को प्राप्त है।

12. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-2ब०/ना०नि०-02-10/2018 के पृष्ठ सं०-19...../टि० पर दिनांक- 27/02/2019 को प्राप्त है।

13. इसकी सूचना आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा/जिला पदाधिकारी, छपरा/प्रबंध निदेशक, बुडको/नगर आयुक्त, नगर निगम, छपरा/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

27-02-19

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/ना०नि०-02-10/2018 132 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-23-2-19
प्रतिलिपि:- आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा/जिला पदाधिकारी, छपरा/प्रबंध निदेशक, बुडको/नगर आयुक्त, नगर निगम, छपरा/प्रबंध निदेशक, बुडको/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27-02-19

सरकार के विशेष सचिव।